



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 (KARTIKA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

संख्या 65/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 23 में, उपनियम (1) में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से—
 - "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विस्तारित की जाए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तिथि से नष्ट दिन की अवधि के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ;
 - प्रथम परन्तुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—
"परन्तु आयुक्त या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, जो अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा दर्शाए गए पर्याप्त कारण और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी अवधि को एक सौ अस्सी दिन से अनधिक किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु यह और कि";

- (g) द्वितीय परन्तुक में, "परन्तु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह भी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात्, व्याख्या 2 के पश्चात्, प्रथम अक्टूबर 2023 से निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्—

"व्याख्या 3.— नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 8 के उप-पैरा (क) में उल्लिखित ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) की व्याख्या के खंड (ख) के अधीन छूट-प्राप्त प्रदायों के मूल्य में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, का मूल्य अंतराष्ट्रीय विमनपत्तनों पर आगमन टर्मिनल पर आने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क दुकानों से मालों की प्रदाय का मूल्य होगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 64 में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से "भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधीनियम, 2017 (2017 का केंद्रीय अधीनियम 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 67 में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से "उप-नियम (1) के अधीन आपरेटर द्वारा प्रस्तुत व्यौरे" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किए गए धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर के व्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 94 को प्रथम अक्टूबर, 2023 से उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(2) निम्नलिखित अवधियां, उप-नियम (1) के अधीन विलंब की अवधि में शामिल नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) नियम 92 के उप-नियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिन से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक-
- (i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 में उत्तर प्रस्तुत करने में लेता है; या
 - (ii) अतिरिक्त दस्तावेज या उत्तर प्रस्तुत करने में लेता है;
- और
- (ख) आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के व्यौरों के विधिमान्यकरण के लिए ली गई कोई समय अवधि, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की राशि जमा नहीं हो सकती।"

7. उक्त नियमों में, नियम 162 में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से,-

- (क) उप-नियम (3) में, "उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया जाता है और" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उप-नियम (3) के अधीन प्रशमन राशि अवधारित करेगा:-

सारणी

क्रम संख्या	अपराध	प्रशमन राशि यदि अपराध धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन दंडनीय है	प्रशमन राशि यदि अपराध धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध	अपवंचित कर की राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के पचहत्तर प्रतिशत तक, ऐसे अपवंचित कर की राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अध्यधीन।	अपवंचित कर की राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के साठ प्रतिशत तक, ऐसे अपवंचित कर की राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अध्यधीन।
2.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध		
3.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
4.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
5.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध	अपवंचित कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य राशि।	अपवंचित कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य राशि।
6.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट अपराध		

क्रम संख्या	अपराध	प्रशमन राशि यदि अपराध धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन दंडनीय है	प्रशमन राशि यदि अपराध धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय है
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (झ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
8.	अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क), खंड (ग) से खंड (च) और खंड खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	अपवंचित कर की ऐसी राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य राशि।	अपवंचित कर की ऐसी राशि या गलत रूप से प्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की राशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य राशि :

परंतु जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग के अधीन आता है तो ऐसे मामले में प्रशमन राशि, उस अपराध के लिए अवधारित राशि होगी, जिसके लिए उच्चतर प्रशमन राशि विहित की गई है।"

8. उक्त नियमों में, नियम 162 के पश्चात्, प्रथम अक्टूबर, 2023 से निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"163. सूचना का सहमति आधारित साझाकरण.— (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 158क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् "अनुरोध प्रणाली" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के साथ –

- (क) समय–समय पर यथा संशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी–01;
- (ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी;
- (ग) समय–समय पर यथा संशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में, प्रस्तुत की गई सूचना साझा करने का विकल्प चुनता है तो अनुरोध प्रणाली ऐसी सूचना साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि ब्यौरों, जहां लागू हो, सहित सहमति संसूचित करेगी।
- (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप–नियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए उन सभी प्राप्तकर्ताओं, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं, की सहमति प्राप्त करने के बाद अनुरोध प्रणाली के साथ ऐसी सूचना साझा करने के लिए सहमति देगा और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त की गई समझी जाएगी।

(3) सामान्य पोर्टल,—

- (क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और
- (ख) कर अवधियों या प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में सूचना अपेक्षित है, उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोध प्रणाली के साथ उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को संसूचित करेगा।"

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर–5क में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से,—

- (i) शीर्ष में, "ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगमन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पुनः प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे "शब्दों के स्थान पर," भारत से बाहर स्थित किसी व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन सूचना और डाटा बेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की प्रदाय के ब्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
 - "4. अवधि: मास वर्ष
 - 4(क) एआरएन :
 - 4(ख) एआरएन की तिथि :।"
- (iii) क्रम संख्या 5 में, "उपभोक्ताओं" शब्द के स्थान पर, "गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (iv) क्रम संख्या 5क में, "व्यक्तियों" शब्द के स्थान पर, "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
(v) क्रम संख्या 5क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता से अन्यथा, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए कराधेय जावक प्रदाय, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

(राशि रूपए में)

जीएसटीआईएन	कराधेय मूल्य
1	

5ग. गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता से अन्यथा, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय जावक प्रदाय में संशोधन, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

(राशि रूपए में)

मास	मूल जीएसटीआईएन	पुनरीक्षित जीएसटआई एन	कराधेय मूल्य
1	2	3	4
			";

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, प्रथम अक्टूबर, 2023 से,—

- (क) क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"3.1. अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण

प्रदायकर्ता का नामांकन संख्या	किए गए प्रदाय का सकल मूल्य	लोटाए गए प्रदाय का मूल्य	प्रदाय का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4
			";

- (ख) क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4.1. अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं द्वारा ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण में संशोधन

मूल विवरण			संशोधित विवरण		
मास	प्रदायकर्ता की नामांकन संख्या	प्रदायकर्ता की नामांकन संख्या	किए गए प्रदाय का सकल मूल्य	लोटाए गए प्रदाय का मूल्य	प्रदाय का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4	5	6"

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 27th October, 2023

No. 65/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.
 (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter for the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), with effect from the 1st day of October, 2023,-
 - (a) for the part beginning with the words “within a period of thirty days” and ending with the words and figures “section 30”, the words “within a period of ninety days from the date of the service of the order of cancellation of registration” shall be substituted;
 - (b) in the first proviso, for the words “Provided that”, the following words and signs shall be substituted, namely: –

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of Additional Commissioner or Joint Commissioner, as the case may be, for a further period not exceeding one hundred and eighty days:

Provided further that”;
 - (c) in the second proviso, for the words “Provided further”, the words “ Provided also” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 43, after sub-rule (5), – after *Explanation 2*, with effect from the 1st day of October, 2023, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“Explanation 3:- For the purpose of rule 42 and this rule, the value of activities or transactions mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 8 of Schedule III of the Act which is required to be included in the value of exempt supplies under clause (b) of the *Explanation* to sub-section (3) of section 17 of the Act shall be the value of supply of goods from Duty Free Shops at arrival terminal in international airports to the incoming passengers.”.
4. In the said rules, in rule 64, with effect from the 1st day of October, 2023, for the words “person in India other than”, the words “non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) or to” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 67, in sub-rule (2), with effect from the 1st day of October, 2023, for the portion beginning with the words “The details” and ending with the words “suppliers”, the words “The details of tax collected at source under sub-section (1) of section 52 furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the registered suppliers” shall be substituted.
6. In the said rules, rule 94 shall, with effect from the 1st day of October, 2023, be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - “(2) The following periods shall not be included in the period of delay under sub- rule (1), namely:-
 - (a) any period of time beyond fifteen days of receipt of notice in FORM GST RFD- 08 under sub-rule (3) of rule 92, that the applicant takes to-
 - (i) furnish a reply in FORM GST RFD-09, or
 - (ii) submit additional documents or reply;

and
 - (b) any period of time taken either by the applicant for furnishing the correct details of the bank account to which the refund is to be credited or for validating the details of the bank account so furnished, where the amount of refund sanctioned could not be credited to the bank account furnished by the applicant.”.

7. In the said rules, in rule 162, with effect from the 1st day of October, 2023,-

- (a) in sub-rule (3), the words “has cooperated in the proceedings before him and” shall be omitted;
- (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) The Commissioner shall determine the compounding amount under sub-rule (3) as per the Table below:-

TABLE

Serial Number	Offence	Compounding amount if offence is punishable under clause (i) of sub- section (1) of section 132	Compounding amount if offence is punishable under clause (ii) of sub- section (1) of section 132
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Offence specified in clause (a) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Up to seventy-five per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of fifty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.	Up to sixty per cent of the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken, subject to minimum of forty per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.
2	Offence specified in clause (c) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
3	Offence specified in clause (d) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
4	Offence specified in clause (e) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
5	Offence specified in clause (f) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Amount equivalent to twenty-five per cent of tax evaded.	Amount equivalent to twenty-five per cent of tax evaded.
6	Offence specified in clause (h) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
7	Offence specified in clause (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act		
8	Attempt to commit the offences or abets the commission of offences mentioned in clauses (a), (c) to (f) and clauses (h) and (i) of sub-section (1) of section 132 of the Act	Amount equivalent to twenty-five per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.	Amount equivalent to twenty-five per cent of such amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken.

Provided that where the offence committed by the person falls under more than one category specified in the Table above, the compounding amount, in such case, shall be the amount determined for the offence for which higher compounding amount has been prescribed.”.

8. In the said Rules, after rule 162, with effect from the 1st day of October, 2023, the following rule, shall be added, namely:-

“163. Consent based sharing of information.- (1) Where a registered person opts to share the information furnished in—

- (a) FORM GST REG-01 as amended from time to time;
- (b) return in FORM GSTR-3B for certain tax periods;
- (c) FORM GSTR-1 for certain tax periods, pertaining to invoices, debit notes and credit notes issued by him, as amended from time to time,

with a system referred to in sub-section (1) of section 158A (hereinafter referred to as “requesting system”), the requesting system shall obtain the consent of the said registered person for sharing of such information and shall communicate the consent along with the details of the tax periods, where applicable, to the common portal.

(2) The registered person shall give his consent for sharing of information under clause (c) of sub-rule (1) only after he has obtained the consent of all the recipients, to whom he has issued the invoice, credit notes and debit notes during the said tax periods, for sharing such information with the requesting system and where he provides his consent, the consent of such recipients shall be deemed to have been obtained.

(3) The common portal shall communicate the information referred to in sub-rule (1) with the requesting system on receipt from the said system-

- (a) the consent of the said registered person, and
- (b) the details of the tax periods or the recipients, as the case may be, in respect of which the information is required.”.

9. In the said rules, in FORM GSTR-5A, with effect from 1st day of October, 2023;—

- (i) in the heading, for the words “persons in India”, the words, brackets and figure “**online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India**” shall be substituted;
- (ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
“4. Period: Month - _Year
– 4(a) ARN:
4(b) Date of ARN:”;
- (iii) in serial number 5, for the word “consumers”, the words “non-taxable online recipient” shall be substituted;
- (iv) in serial number 5A, for the word “persons”, the words “online recipient” shall be substituted;
- (v) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:

“5B. Taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

<i>GSTIN</i>	<i>Taxable Value</i>
<i>I</i>	<i>2</i>

5C. Amendments to the taxable outward supplies made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

<i>Month</i>	<i>Original GSTIN</i>	<i>Revised GSTIN</i>	<i>Taxable value</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

”;

10. In the said rules, in FORM GSTR-8, with effect from the 1st day of October, 2023,-

- (a) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries, shall be inserted, namely;-

“3.1. Details of supplies made through e-commerce operator by un- registered suppliers

Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net value of the supplies
1	2	3	4

";

- (b) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries , shall be inserted, namely;:-

“4.1. Amendments to details of supplies made through e-commerce operator by unregistered suppliers

Original details			Revised details		
Month	Enrolment no. of supplier	Enrolment no. of supplier	Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net value of the supplies
1	2	3	4	5	6

".

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.